न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बैंरा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

नम्ब
अह
हु
मे

...ा संख्या : 86/2015 राजस्व वाद

उनवान

...तर सिंह पिता बाल सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

--- (वादीगण)

बनाम

मोहन सिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
बाघसिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
फौत
2/1 श्रवण कंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत 2/1 श्रवण कंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2/2 गजराज कंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
रतनसिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

---(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –
1. श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

निर्णय

दिनांक – 15.06.2016

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादी अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान ...श्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए वादीगण की ओर से न्यायालय मे निवेदन किया की वादी ... प्रतिवादी संख्या 1 2/1, 2/2, व 3 के नाम ग्राम जसवन्तपुरा प0ह0 बैंरा भू0अ0निरीक्षक ...त्र बैंरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 **खाता संख्या 172 की आ0न0 178, ...9, 181, 182, 256, 555, 565, 566, 737 कुल किता 9 कुल रकबा 10–15 बीघा,** आराजियात ...थत हैं। जिसमे वादीगण व प्रतिवादी गण संख्या 1 2/1, 2/2, व 3 का हिस्सा निहित हैं। ...दीगण शामलाती आराजियात होने से अपने हक हिस्से की आराजी का समुचित ढंग से विकास ...हीं कर सकता हैं। प्रतिवादी गण बंटवारा कराने को सहमत नहीं हैं इसलिए वाद वादी स्वीकार ...रमाते हुये डिक्री से वादग्रस्त आराजियात मे से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये ...ई मीट्स एण्ड बाऊण्ड से विभाजन करा एवं राजस्व रिकार्ड मे पृथक से वादीगण का नाम ...ाता कायम करने की डिक्री पारित की जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित की ...ावे।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

... ओर आपसी मन मुटाव बना रहता हे 1 ओर किसी भी दिन उग्र रूप धारण होने की

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं वाद राजस्व लोक अदालत मे दिनांक 15.06.2016 को ग्राम बेंरा मे निस्तारण हेतु उभयपक्षों को नोटिस तलब किया गया। वादी व अधिवक्ता वादी श्री कृष्ण कुमार जीनगर द्वारा राजस्व अदालत मे उपस्थित होकर प्रकरण के निस्तारण पर सहमति व्यक्त की। वाद पत्र जियात बटंवारा बाबत हैं एवं पक्षकारान उभयपक्ष केम्प में उपस्थित रहे। लोक अदालत की ा को मध्य नजर रखते हुये वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की की जावे की ग्राम जसवन्तपुरा को तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 **खाता ा 172 की आ0न0 178, 179, 181, 182, 256, 555, 565, 566, 737 कुल किता 9 कुल रकबा 15 बीघा** ,आराजियात का बहस वाद मे सुनी गई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा त्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के खातेदार होने से उसके हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त जियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता क–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा किया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती

: : आदेश : :

दिनांक – 15.06.2016

वाद पत्र वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम जसवन्तपुरा प0ह0 बेंरा 0निरीक्षक क्षेत्र वृत बैंरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 **खाता संख्या 172 आ0न0 178, 179, 181, 182, 256, 555, 565, 566, 737 कुल किता 9 कुल रकबा 10–15** ा ने वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 2/1, 2/2, व 3 के हक हिस्से अनुसार विभाजन तहसीलदार बनेड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि वाद ने दर्ज आराजियात का बटंवारा किया जावे। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की लना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस र कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक .06.2016 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प बैंरा मे सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

है और आपसी मन मुटाव बना रहता हे 1 ओर किसी भी दिन उग्र रूप धारण होने की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बैंरा तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे प्रारम्भिक डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

ीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

ा संख्या : 86/2015 राजस्व वाद

उनवान

ातर सिंह पिता बाल सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

— (वादीगण)

बनाम

मोहन सिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
बाघसिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
फौत
2/1 श्रवण कंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत 2/1 श्रवण कंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2/2 गजराज कंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
रतनसिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात</u>

उपस्थित –
1. श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

दिनांक– 15.06.2016

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी गण जारी की जाती हैं एवं तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि ग्राम जसवन्तपुरा प0ह0 बैंरा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र वृत बैंरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 72 **खाता संख्या 172 की आ0न0 178, 179, 181, 182, 256, 555, 565, 566, 737 कुल किता कुल रकबा 10–15 बीघा** मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 2/1, 2/2, व 3 के हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 8–21 की पालना करते हुए विभाजन सूची तैयार कर विभाजन सूची व नक्शा ट्रेस न्यायालय में दिनांक तक प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा (राज.)

है ओर आपसी मन मुटाव बना रहता हे 1 ओर किसी भी दिन उग्र रूप धारण होने की सम्भावना बनी रहती हे 1 तथा प्रत्येक खेतो का विकास करने के लिए भूमि सुधार का